

Audiovisual Co-production Agreement

between

the Government of Australia

and the

Government of the Republic of India

Audiovisual Co-production Agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of India

**The Government of Australia and the Government of the Republic of India
(hereinafter referred to as the “Parties”);**

SEEKING to enhance cooperation between the two countries in the area of audiovisual work and to facilitate the cultural, creative and economic exchanges between the Parties;

SO as to enable expanding and facilitating the co-production of audiovisual works which may be beneficial to the audiovisual industries of both the countries;

DESIROUS that the audiovisual industries of the two countries share the risk and cost of productions, whilst increasing the output of high quality productions;

CONVINCED that these exchanges will contribute to the enhancement of relations between the two countries;

HAVE AGREED as follows:

Article 1 Definitions

For the purposes of this Agreement:

- 1.1 ‘audiovisual co-production’ means an audiovisual work jointly produced by one or more Australian co-producers and one or more Indian co-producers (and, in the case of a third country co-production, with a third country co-producer); which has been approved by the competent authorities;
- 1.2 ‘audiovisual work’ means any aggregate of images or of images and sounds, embodied in any material in accordance with each Party’s laws and regulations;
- 1.3 ‘benefits’ means all those financial and other incentives which may be offered to co-production films by each Party from time to time under Article 6 (Entitlement to Benefits);
- 1.4 ‘competent authority’ means:

- a) on behalf of the Government of the Republic of India, the Ministry of Information & Broadcasting;
- b) on behalf of the Government of Australia, Screen Australia or such other entity as designated by the Australian Government;

1.5 'co-producer' means:

- a) one or more Indian nationals;
- b) one or more Australian nationals; or
- c) in the case of a third country co-production under Article 5 (Third Country Co-productions), any individual that falls within the relevant scope of the film or audiovisual agreement or arrangement of less-than-treaty status referred to in that Article;

involved in the making of a co-production film;

1.6 'legal entity' means any entity duly constituted or otherwise organised under applicable law, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any corporations, trusts, partnerships, joint ventures, sole proprietorships or associations;

1.7 'nationals' means:

- a) in relation to India, citizens of India;
- b) in relation to Australia, Australian citizens and permanent residents;

1.8 'protection and reproduction material' means:

- a) those materials derived from the original film materials for protecting the final version of the film; and
- b) those materials used for making copies of the film for the purpose of distribution and exhibition of the film.

Article 2

Competent Authority

2.1 Each Party shall designate a competent authority for the purposes of implementing this Agreement. Either Party may change their appointed competent authority by giving notice to the other Party through diplomatic channels. The change in competent authority will take effect 28 days after the notice has been received.

2.2 The competent authorities may examine the implementation of this Agreement and consult with each other to resolve any difficulties arising out of its application.

Article 3
Approval of Audiovisual Co-productions

- 3.1 Prior to the commencement of the making of an audiovisual co-production, co-producers shall apply to the competent authorities for provisional approval of the audiovisual work.
- 3.2 The competent authorities, in consultation, shall apply the provisions of this Agreement and the Annex to this Agreement consistent with Article 17 (Status of Annex) when approving audiovisual works under this Agreement.
- 3.3 The approval process shall comprise two stages:
 - a) provisional approval in accordance with Article 3.1; and
 - b) final approval upon completion of the co-production film.
- 3.4 When approving an audiovisual work as an audiovisual co-production, each competent authority may stipulate additional conditions of approval, ensuring that such conditions are consistent with the provisions of this Agreement, and framed to ensure that:
 - a) minimum financial and creative contributions are met;
 - b) the creative contribution is in reasonable proportion to the financial contribution of each co-producer; and
 - c) an overall balance is achieved in accordance with Article 16.1.
- 3.5 In the event that the approval by both competent authorities is not granted, the audiovisual work concerned shall not be approved under this Agreement.
- 3.6 The approval of an audiovisual work as a co-production by the competent authorities shall not bind the relevant authorities of either Party to permit the public exhibition of the resulting audiovisual work.

Article 4
Co-producer Status

- 4.1 The competent authorities shall ensure that:
 - a) the Indian co-producer shall fulfil all conditions relating to status which are required to be fulfilled in order for the production to be eligible as an Indian audiovisual work or satisfy the provisions of this Agreement, and Rules or Procedures, made thereunder;
 - b) the Australian co-producer shall fulfil all the conditions relating to status which would be required to be fulfilled, if that producer were the only producer, in order for the production to be eligible as an Australian audiovisual work under Australian legislation and the provisions of this Agreement; and

- c) none of the co-producers shall be linked by common management, ownership or control, save to the extent that it is inherent in the making of the audiovisual co-production itself.

Article 5

Third Party Co-productions

- 5.1 Where either Party maintains with a third country a film or audiovisual co-production agreement, or arrangement of less-than-treaty status, the competent authorities may jointly approve an audiovisual work as a co-production film under this Agreement that is to be made in conjunction with a co-producer from that third party country.
- 5.2 Any third country co-producer shall fulfil all conditions relating to status which would be required to be fulfilled to produce an audiovisual work under the terms of the co-production agreement, or arrangement of less-than-treaty status, in force between that co-producer's country and either India or Australia.

Article 6

Entitlement to Benefits

- 6.1 An audiovisual co-production shall be entitled to the full enjoyment of all the benefits which are or may be accorded to national audiovisual works in India and Australia respectively subject to the laws in force from time to time in each country.
- 6.2 Any subsidies, tax incentives, or other financial incentives which may be granted by either Party in relation to a co-production audiovisual work shall accrue to the co-producer who is permitted to claim those benefits in accordance with the laws, measures and other financial incentive arrangements of that Party.
- 6.3 Such subsidies, tax incentives or other financial benefits may not be assigned or disposed of except to or for the benefit of a legal entity or national of that co-producer's country, or in the case of a third country co-production under Article 5 (Third Country Co-productions), any individual or legal entity that falls within the relevant scope of the film or audiovisual agreement or arrangement of less than treaty status referred to in that Article.
- 6.4 An audiovisual co-production made in accordance with an approval by the competent authorities under this Agreement but completed after the termination of this Agreement shall be treated as an audiovisual co-production and its co-producers shall accordingly be entitled to all the benefits of this Agreement.

Article 7
Immigration Facilitation and Import of Equipment

- 7.1 Subject to their legislation and regulations in force from time to time, the Parties shall:
- a) permit the entry into, and temporary stay in, their respective territories of the creative and technical personnel and the performers engaged by the co-producer of the other country, or in the case of a third country co-production under Article 5 (Third Country Co-productions), individuals that fall within the relevant scope of the film or audiovisual agreement or arrangement of less-than-treaty status referred to in that Article, for the purpose of producing the audiovisual co-production; and
 - b) similarly permit the temporary entry and re-export of any equipment necessary for the purpose of producing the audiovisual co-production, free of import duties and taxes.

Article 8
Contributions

- 8.1 Each co-producer shall make both a financial and a creative contribution each of not less than twenty per cent (20%) of the total financial and creative contribution for the audiovisual co-production.
- 8.2 The performing, technical and craft contribution (being the “creative” contribution) of each co-producer to an audiovisual co-production shall be in reasonable proportion to each co-producer's financial contribution.

Article 9
Location Filming

- 9.1 The audiovisual co-production may undertake location filming in a country other than the countries of the participating co-producers, subject to the approval of the competent authorities. Where location filming in an additional country is agreed, the co-producers shall have the responsibility to ensure that all necessary approvals and permits of that additional country are obtained and complied with.

Article 10
Participation

- 10.1 Subject to Articles 10.2 to 10.5, individuals participating in the making of audiovisual co-productions shall be nationals of India, Australia or in the case of a third country co-production under Article 5 (Third Country Co-productions),

individuals that fall within the relevant scope of the film or audiovisual agreement of less than treaty status referred to in that Article.

- 10.2 Performers who are citizens and permanent residents of countries other than the participating co-production countries may be engaged in the production:
- a) where the competent authorities are satisfied that there are exceptional circumstances;
 - b) where script or financing of a co-production dictates their participation; or
 - c) in the case of approved location filming in a country other than that of the participating co-production countries, in minor roles where this is reasonably necessary.
- 10.3 Where the competent authorities have approved location filming in a country other than that of the participating co-producers, citizens of that country may be employed as crowd artists, in small roles, or as additional employees whose services are necessary for the location work to be undertaken.
- 10.4 The competent authorities may approve the participation of restricted numbers of technical personnel who are citizens and permanent residents of countries other than the co-production countries where the competent authorities are satisfied that the relevant technical expertise is not available in the co-producers' countries at the time the relevant audiovisual co-production is made.
- 10.5 A screen writer who is a citizen or a permanent resident of a country other than the participating co-production countries who makes a minor contribution to the screenplay of an audiovisual co-production and who does not receive a writer's credit shall not be considered to have participated in the making of the audiovisual co-production within the meaning of Article 10.1.

Article 11

Soundtrack

- 11.1 Unless otherwise decided by the competent authorities in consultation, the original soundtrack of each audiovisual co-production shall be made in one of the official languages, including any commonly used dialect, of either Party, or where there is a third co-producer, in one of the official languages, including any dialect, of that third country, or in any combination of those languages.
- 11.2 The original soundtrack of each audiovisual co-production shall be made in India and/or Australia and/or, where there is a third country co-producer, in that third country.

- 11.3 Narration, dubbing or subtitling shall be permitted in any other agreed commonly used language, official language or dialect of either Party, or where there is a third country co-producer, in a commonly used language or dialect of that third country.
- 11.4 Narration, dubbing and subtitling of each audiovisual co-production shall take place in India and/or Australia and/or where there is a third country co-producer, in that third country.
- 11.5 Post release print dubbing into any other language may be carried out in a country other than the co-producers' countries.
- 11.6 The soundtrack may contain sections of dialogue in any language in so far as this is required by the script.
- 11.7 Any music specially composed for an audiovisual co-production shall, subject to any departure from this rule which is approved by the competent authorities, be composed by nationals of India, Australia, or in the case of a third country co-production under Article 5 (Third Country Co-productions), any individual that falls within the relevant scope of the film or audiovisual agreement or arrangement of less-than-treaty status referred to in that Article.

Article 12

Making up to First Release Print

- 12.1 Audiovisual co-productions shall be made and processed up to the creation of the first release print or digital equivalent in India and/or Australia and/or, where there is a third country co-producer, that producer's country. The majority of this work shall normally be carried out in the country of the co-producer which has the major financial contribution. In the event that the financial contributions of the co-producers are equal, the location of the majority of the work shall be determined by agreement of the co-producers and approved by the competent authorities.
- 12.2 Dubbing of audiovisual co-productions, undertaken up to the making of the first release print or digital equivalent, may be carried out in India and/or Australia and/or, where there is a third co-producer, in that co-producer's country.
- 12.3 At least ninety per cent (90%) of the footage included in an audiovisual co-production shall, subject to any departure from this rule which is approved by the competent authorities, be specially shot for that audiovisual work.

Article 13

Working Conditions

- 13.1 To the extent possible, the competent authorities will satisfy themselves that conditions of work in the making of audiovisual co-productions under the Annex

in each of the countries of the participating co-producers are in broad terms comparable and, in relation to each country, consistent with the standards generally prevailing in that country, and that in the event that location shooting of the audiovisual work takes place in a country other than that of a co-producer, conditions will be, in broad terms, comparable.

Article 14
Acknowledgement and Credits

- 14.1 The competent authorities shall ensure that each audiovisual co-production includes either a separate credit title indicating that the audiovisual work is either an “Indian-Australian co-production” or an “Australian-Indian co-production”, or where relevant, a credit which reflects the participation of Australia, India and the country of the third co-producer.

Article 15
Taxation

- 15.1 Notwithstanding any other provision of this Agreement other than Article 7 (Immigration Facilitation and Import of Equipment), for the purposes of taxation the laws in force in each Party shall apply subject to the provisions of any treaty governing tax matters between the Parties.

Article 16
Balance

- 16.1 An overriding aim of the Agreement, as monitored by the competent authorities, shall be to ensure that an overall balance is achieved between the Parties with respect to:
- a) the contribution of each country to the production costs of all audiovisual co-productions;
 - b) the usage of studios and laboratories;
 - c) the employment of all performing, craft and technical personnel, measured on a straight head count basis; and
 - d) the participation in each of the major performing, craft and technical categories and in particular, that of the writer, director and lead cast; over each period of three years commencing on the date that this Agreement enters into force.
- 16.2 Either competent authority may withhold approval of an audiovisual work as an audiovisual co-production on the basis that the overriding aim of overall balance referred to in Article 16.1 would be prejudiced by such approval, provided that

approval may not be withheld on this ground where a film has received provisional approval under Article 3.1.

Article 17
Status of Annex

- 17.1 The Annex to this Agreement shall constitute an implementing arrangement in respect of this Agreement and shall be read in conjunction with the provisions of this Agreement. The Annex reflects the understanding of the Parties and does not create legally binding obligations.
- 17.2 Any modification to the Annex shall be jointly determined by the competent authorities. Modifications to the Annex shall be in conformity with the provisions of this Agreement.
- 17.3 Modifications to the Annex shall be confirmed by the competent authorities in writing and shall take effect on the date specified by the competent authorities.

Article 18
Amendment

- 18.1 This Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Parties. Any such amendment shall be made in writing.
- 18.2 An amendment agreed to by the Parties shall enter into force once the Parties have notified each other through diplomatic channels that their respective internal legal requirements for entry into force of the amendment have been completed. The amendment shall enter into force on the latter date of these two notifications.

Article 19
Settlement of Disputes

19. Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiation.

Article 20
Entry into Force

20. The Agreement shall enter into force once the Parties have notified each other through diplomatic channels that their respective internal legal requirements for entry into force have been completed. The Agreement shall enter into force on the latter date of these two notifications.


Article 21
Duration and Termination

- 21.1 This Agreement shall remain in force initially for a period of three years from the date of its entry into force. Either Party wishing to terminate it shall give written notice to terminate to the other Party six months before the end of that period, and the Agreement shall then terminate at the end of the three years.
- 21.2 If no notice of termination is given the Agreement shall automatically remain in force for successive periods each of three years, unless written notice to terminate is given by either Party at least six months before the end of any period of three years, in which case it shall terminate at the end of that period.

In witness whereof, the undersigned being duly authorised thereto by their respective governments, have signed this Agreement.

Done in two originals at NEW DELHI on this day of 10 MARCH 2023, in two originals, each in English and Hindi languages, both the versions being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**For and on behalf of the Government of
Australia**



Name: SENATOR THE HON
DON FARRELL

Designation:

MINISTER FOR
TRADE AND TOURISM

**For and on behalf of the Government of
the Republic of India**



Name: SHRI ANURAG SINGH THAKUR

Designation:

HON'BLE MINISTER FOR
INFORMATION AND BROADCASTING

ANNEX

(1) Status of Annex

This Annex constitutes an implementing arrangement in respect of the Film Co-production Agreement between the Government of India and the Government of Australia (“the Agreement”), and will be read in conjunction with the provisions of the Agreement. This Annex reflects the understandings of the Parties to the Agreement and does not create legally binding obligations.

(2) Duration and Termination

This Annex will come into effect when the Agreement enters into force and will be terminated when the Agreement is terminated.

(3) Designation of Competent Authorities

The competent authorities for the Agreement are Ministry of Information & Broadcasting in India and Screen Australia in Australia or such other entity as designated by the Australian Government.

(4) Co-producer Contracts

In approving films, the competent authorities will ensure that the contracts between the co-producers:

- a) provide that a co-producer may only assign or dispose of the benefits referred to in Article 6 (Entitlement to Benefits) of the Agreement in accordance with Articles 6.2 and 6.3 of the Agreement;
- b) provide that a sufficient number of copies of the final protection and reproduction material used in the production be made for all the co-producers. Each co-producer will be the owner of a copy of the protection and reproduction material and will be entitled to use it to make the necessary reproductions. Moreover, each co-producer will have access to the original production material in accordance with the conditions mutually determined between the co-producers;
- c) set out the financial liability of each co-producer for costs incurred in the following situations where:
 - i. a film is refused provisional approval as a co-production film by the competent authorities;
 - ii. a film which has been given such provisional approval fails to comply with the conditions of such approval;
 - iii. permission for the public exhibition of an approved co-production film is withheld in any of the countries of the co-producers; or
 - iv. where permission for the export/distribution of an approved co-production film to a third country is withheld;
- d) set out the arrangements regarding the division between the co-producers of the receipts from the exploitation of the film, including those from export markets; and
- e) specify the dates by which their respective contributions to the production of that film will have been completed.

(5) Rules of procedure

The competent authorities will assess co-productions in accordance with the Agreement and:

- a) for India, the Rules of Procedure as in force from time to time (<https://mib.gov.in/film/films-codes-guidelines-and-policies>) ; and
- b) for Australia, the International Co-production Program Guidelines as in force from time to time (<http://www.screenaustralia.gov.au/coproductions/guidelines.aspx>)

ऑस्ट्रेलिया सरकार
तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच
ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करार

ऑस्ट्रेलिया की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात 'पक्षकारों' के रूप में संदर्भित किया जाएगा);

ऑडियो-विजुअल निर्माण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने और पक्षकारों के बीच सांस्कृतिक, रचनात्मक और आर्थिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने की मांग;

ताकि दोनों देशों के ऑडियो-विजुअल उद्योगों के लिए लाभकारी हो सकने वाले ऑडियो-विजुअल कार्यों के सह-निर्माण के विस्तार और सुविधा को सक्षम बनाया जा सके;

दोनों देशों के ऑडियो-विजुअल उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण के आऊटपुट में वृद्धि करते हुए, निर्माण के जोखिम और लागत को साझा करने की इच्छा से;

इससे सहमत होते हुए कि ये आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान देंगे;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ :

- 1.1 'ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण' से आशय एक या एक से अधिक ऑस्ट्रेलियाई सह-निर्माताओं और एक या एक से अधिक भारतीय सह-निर्माताओं (और, तीसरे देश के सह-निर्माता के साथ, तीसरे देश के सह-निर्माण के मामले में) का संयुक्त रूप से निर्मित ऑडियो-विजुअल कार्य है; जिसे सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया हो;
- 1.2 'ऑडियो-विजुअल निर्माण' से आशय प्रत्येक पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार किसी भी सामग्री में सन्निहित इमेजिस या इमेजिस और साउंड का कोई समूह है;
- 1.3 'लाभ' से आशय उन सभी वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों से है जो प्रत्येक पक्ष द्वारा समय-समय पर अनुच्छेद 6 (लाभ की पात्रता) के तहत सह-निर्माण फिल्मों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं;
- 1.4 'सक्षम प्राधिकारी' से आशय है:

- क) भारत गणराज्य की सरकार की ओर से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय;
- ख) ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से, स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसा कोई अन्य निकाय;

1.5 'सह-निर्माता' से आशय है:

- क) एक या एक से अधिक भारतीय नागरिक;
- ख) एक या एक से अधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक; या
- ग) अनुच्छेद 5 (थर्ड कंट्री को-प्रोडक्शन) के तहत तीसरे देश के सह-निर्माण के मामले में, कोई भी व्यक्ति जो फिल्म या ऑडियो-विजुअल करार या उस लेख में संदर्भित संधि से कम की स्थिति की व्यवस्था के प्रासंगिक दायरे में आता है;

सह-निर्माण फिल्म के निर्माण में शामिल है;

1.6 'कानूनी संस्था' से आशय लागू कानून के तहत विधिवत गठित या अन्यथा संगठित कोई संस्था है, चाहे लाभ के लिए या अन्यथा, और चाहे वह निजी स्वामित्व वाली हो या सरकारी स्वामित्व वाली हो, जिसमें कोई भी निगम, ट्रस्ट, भागीदारी, संयुक्त उद्यम, एकमात्र स्वामित्व या संघ शामिल हैं;

1.7 'नागरिक' से आशय है:

- क) भारत के संबंध में, भारत के नागरिक;
- ख) ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और स्थायी निवासी;

1.8 'संरक्षण और पुनरूत्पादन सामग्री' से आशय है:

- क) फिल्म के अंतिम संस्करण की सुरक्षा के लिए मूल फिल्म सामग्री से प्राप्त सामग्री; तथा
- ख) फिल्म के वितरण और प्रदर्शन के उद्देश्य से फिल्म की प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री।

अनुच्छेद 2

सक्षम प्राधिकारी

- 2.1 प्रत्येक पक्ष इस करार को लागू करने के उद्देश्यों के लिए एक सक्षम प्राधिकारी को नामित करेगा। कोई भी पक्ष राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूसरे पक्ष को नोटिस देकर अपने नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को बदल सकता है। सक्षम प्राधिकारी में बदलाव नोटिस प्राप्त होने के 28 दिनों के बाद से प्रभावी होगा।
- 2.2 सक्षम अधिकारी इस करार के कार्यान्वयन की जांच कर सकते हैं और इसके अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ परामर्श कर सकते हैं।

अनुच्छेद 3

ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण की स्वीकृति

- 3.1 ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण में निर्माण को शुरू करने से पहले, सह-निर्माता ऑडियो-विजुअल कार्य के अनंतिम अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारियों को आवेदन करेंगे।
- 3.2 सक्षम प्राधिकारी, परामर्श से, इस करार के तहत ऑडियो-विजुअल कार्यों को मंजूरी देते समय इस करार के प्रावधानों और इस करार के अनुबंध को अनुच्छेद 17 (अनुबंध की स्थिति) के अनुरूप लागू करेंगे।
- 3.3 अनुमोदन प्रक्रिया में दो चरण शामिल होंगे:
 - क) अनुच्छेद 3.1 के अनुसार अनंतिम अनुमोदन; तथा
 - ख) सह-निर्माण फिल्म के पूरा होने पर अंतिम अनुमोदन।
- 3.4 एक ऑडियो-विजुअल कार्य को एक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण के रूप में अनुमोदित करते समय, प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन की अतिरिक्त शर्तें यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित कर सकता है, कि ऐसी शर्तें इस करार के प्रावधानों के अनुरूप हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं:
 - क) न्यूनतम वित्तीय और रचनात्मक योगदान को पूरा किया गया है;
 - ख) रचनात्मक योगदान प्रत्येक सह-निर्माता के वित्तीय योगदान के उचित अनुपात में है; तथा
 - ग) अनुच्छेद 16.1 के अनुसार एक समग्र संतुलन प्राप्त किया गया है।
- 3.5 ऐसा होने पर कि दोनों सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है, संबंधित ऑडियो-विजुअल कार्य को इस करार के तहत अनुमोदित नहीं किया जाएगा।
- 3.6 सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सह-निर्माण के रूप में एक ऑडियो-विजुअल कार्य का अनुमोदन परिणामी ऑडियो-विजुअल कार्य के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए किसी भी पक्ष के संबंधित अधिकारियों को बाध्य नहीं करेगा।

अनुच्छेद 4

सह-निर्माता की स्थिति

- 4.1 सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि:
 - क) भारतीय सह-निर्माता उस स्थिति से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करेगा जो निर्माण के लिए भारतीय ऑडियो-विजुअल कार्य के रूप में पात्र होने या इस करार के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों या प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं;
 - ख) ऑस्ट्रेलियाई सह-निर्माता स्थिति से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करेगा, जिन्हें पूरा करना आवश्यक होगा, ताकि ऑस्ट्रेलियाई कानून और इस करार के प्रावधानों के

तहत ऑस्ट्रेलियन ऑडियो-विजुअल काम के रूप में पात्र हो सके, यदि वह निर्माता ही एकमात्र निर्माता था; तथा
ग) सह-निर्माताओं में से कोई भी सामान्य प्रबंधन, स्वामित्व या नियंत्रण से नहीं जुड़ा होगा, सिवाय उस सीमा तक कि यह ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण के निर्माण में अंतर्निहित है।

अनुच्छेद 5

तृतीय पक्ष सह-निर्माण

- 5.1 जहां कोई भी पक्ष किसी तीसरे देश के साथ एक फिल्म या ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करार, या संधि से कम की स्थिति की व्यवस्था रखता है, सक्षम प्राधिकारी संयुक्त रूप से इस करार के तहत एक सह-निर्माण फिल्म के रूप में एक ऑडियो-विजुअल कार्य को मंजूरी दे सकते हैं जो उस तृतीय पक्ष के देश के सह-निर्माता के साथ मिलकर बनाया जाना है।
- 5.2 कोई भी तृतीय देश का सह-निर्माता उस स्थिति से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करेगा, जिसे सह-निर्माण करार की शर्तों के या उस-निर्माता देश और चाहे भारत हो या आस्ट्रेलिया हो के बीच प्रवृत्त संधि से कम की स्थिति की व्यवस्था के तहत ऑडियो-विजुअल काम को पूरा करना आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 6

लाभ का अधिकार

- 6.1 एक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण उन सभी लाभों का पूर्ण आनंद लेने का हकदार होगा जो क्रमशः भारत और ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय ऑडियो-विजुअल कार्यों के लिए दिए जाते हैं या प्रदान किए जा सकते हैं, जो प्रत्येक देश में समय-समय पर लागू कानूनों के अधीन होते हैं।
- 6.2 कोई भी सब्सिडी, कर प्रोत्साहन, या अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जो किसी भी पक्ष द्वारा सह-निर्माण ऑडियो-विजुअल कार्य के संबंध में दिए जा सकते हैं, सह-निर्माता को प्राप्त होंगे, जिन्हें उस पक्ष को कानूनों, उपायों और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन व्यवस्था के अनुसार उन लाभों का दावा करने की अनुमति है।
- 6.3 ऐसी सब्सिडी, कर प्रोत्साहन या अन्य वित्तीय लाभों का, उस सह-निर्माता देश के कानूनी संस्था या नागरिक के लाभार्थ या अनुच्छेद 5 (तृतीय देश सह-निर्माण) के तहत किसी तीसरे देश के सह-निर्माण, किसी व्यक्ति या कानूनी संस्था, जो फिल्म या आडियो-विजुअल करार या उस अनुच्छेद में संदर्भित संधि की स्थिति से न्यून व्यवस्था, के प्रासंगिक दायरे में आते हों, के अलावा आवंटन या निपटान नहीं किया जा सकता है।

- 6.4 इस करार के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के अनुसार किए गए एक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण, लेकिन जिसे इस करार की समाप्ति के बाद पूरा किया गया हो, एक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण के रूप में माना जाएगा और इसके सह-निर्माता तदनुसार सभी लाभों के हकदार होंगे।

अनुच्छेद 7

आप्रवासन सुविधा और उपकरणों का आयात

- 7.1 समय-समय पर लागू उनके विधान और विनियमों के अधीन, पक्षकार यह करेंगे कि:

- क) रचनात्मक और तकनीकी कार्मिकों और दूसरे देश के सह-निर्माता द्वारा लगाए गए कलाकारों या अनुच्छेद 5 (तीसरे देश के सह-निर्माण) के तहत तीसरे देश के सह-निर्माण के मामले में अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश और अस्थायी रहने की अनुमति देना, वे व्यक्ति जो फिल्म या ऑडियो-विजुअल करार या ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण के निर्माण के उद्देश्य से उस अनुच्छेद में संदर्भित संधि से कम की स्थिति की व्यवस्था के प्रासंगिक दायरे में आता है; तथा
- ख) इसी तरह आयात शुल्क और करों से मुक्त, ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण के उद्देश्य से आवश्यक किसी भी उपकरण के अस्थायी प्रवेश और पुनः निर्यात की अनुमति देना।

अनुच्छेद 8

योगदान

- 8.1 प्रत्येक सह-निर्माता ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण के लिए कुल वित्तीय और रचनात्मक योगदान के कम से कम बीस प्रतिशत (20%) का वित्तीय और रचनात्मक दोनों योगदान करेगा।
- 8.2 ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण में प्रत्येक सह-निर्माता का प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी और शिल्प योगदान ("रचनात्मक" योगदान होने के नाते) प्रत्येक सह-निर्माता के वित्तीय योगदान के उचित अनुपात में होगा।

अनुच्छेद 9

स्थान फिल्मांकन

- 9.1 ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण, सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन, भाग लेने वाले सह-निर्माताओं के देशों के अलावा किसी अन्य देश में स्थान फिल्मांकन कर सकता है। जहां किसी अतिरिक्त देश में लोकेशन फिल्माने पर सहमति होती है, वहां सह-निर्माताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उस अतिरिक्त देश के सभी आवश्यक अनुमोदन और परमिट प्राप्त किए गए हैं और उनका अनुपालन किया गया है।

अनुच्छेद 10

भागीदारी

- 10.1 अनुच्छेद 10.2 से 10.5 के अधीन, ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्ति भारत, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक होंगे या अनुच्छेद 5 (तीसरे देश के सह-निर्माण) के तहत किसी तीसरे देश के सह-निर्माण के मामले में, ऐसे व्यक्ति होंगे जो फिल्म के प्रासंगिक दायरे के भीतर या उस अनुच्छेद में संदर्भित संधि की स्थिति से कम के ऑडियो-विजुअल करार के भीतर आते हैं।
- 10.2 भाग लेने वाले सह-निर्माण देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिक और स्थायी निवासी कलाकार निर्माण में लगाए जा सकते हैं:
- क) जहां सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि असाधारण परिस्थितियां हैं;
- ख) जहां सह-निर्माण की स्क्रिप्ट या वित्तपोषण उनकी भागीदारी को निर्धारित करता है; या
- ग) भाग लेने वाले सह-निर्माण देशों के अलावा किसी अन्य देश में अनुमोदित स्थान फिल्मांकन के मामले में, छोटी भूमिकाओं में जहां यह उचित रूप से आवश्यक है।
- 10.3 जहां सक्षम अधिकारियों ने भाग लेने वाले सह-निर्माताओं के अलावा किसी अन्य देश में स्थान फिल्मांकन को मंजूरी दी है, उस देश के नागरिकों को भीड़ कलाकारों के रूप में, छोटी भूमिकाओं में, या अतिरिक्त कर्मचारियों के रूप में जिनकी सेवाएं स्थान के काम के लिए आवश्यक हैं, नियोजित किए जाएं।
- 10.4 सक्षम प्राधिकारी सीमित संख्या में तकनीकी कर्मियों की भागीदारी को मंजूरी दे सकते हैं जो सह-निर्माण देशों के अलावा अन्य देशों के नागरिक और स्थायी निवासी हैं जहां सक्षम अधिकारी संतुष्ट हैं कि संबंधित तकनीकी विशेषज्ञता सह-निर्माता देशों में उपलब्ध नहीं है, उस समय प्रासंगिक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण किया जाता है।
- 10.5 कोई पटकथा लेखक, जो सह-निर्माण करने वाले भागीदार देशों के अलावा किसी देश का नागरिक या स्थायी निवासी है, जो ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण की पटकथा में मामूली योगदान देता है और जिसे लेखक का श्रेय नहीं मिलता है, अनुच्छेद 10.1 के प्रयोजन के भीतर ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करने में उसके भाग लेने पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 11

साउंड ट्रेक

- 11.1 जब तक कि परामर्श में सक्षम अधिकारियों द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है, प्रत्येक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण का मूल साउंड ट्रेक किसी भी आधिकारिक भाषाओं में से एक में बनाया जाएगा जिसमें किसी भी पक्षकार के सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली

बोली अथवा जहां तीसरा सह-निर्माता है किसी एक अधिकारिक भाषा में बनाया जाएगा जिसमें उस तीसरे देश की कोई बोली या उन भाषाओं का कोई संयोजन शामिल है।

- 11.2 प्रत्येक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण का मूल साउंडट्रैक भारत और/या ऑस्ट्रेलिया में और/या, जहां कोई तीसरा देश सह-निर्माता है, उस तीसरे देश में बनाया जाएगा।
- 11.3 वर्णन, डबिंग या उपशीर्षक की अनुमति किसी भी अन्य सहमत आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, आधिकारिक भाषा या किसी भी पक्षकार की बोली में, या जहां कोई तीसरा देश सह-निर्माता है, उस तीसरे देश की आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा या बोली में दी जाएगी।
- 11.4 प्रत्येक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण का वर्णन, डबिंग और उपशीर्षक भारत और/या ऑस्ट्रेलिया में और/या जहां कोई तीसरा देश सह-निर्माता है, उस तीसरे देश में होगा।
- 11.5 रिलीज के बाद किसी अन्य भाषा में प्रिंट डबिंग सह-निर्माता देशों के अलावा किसी अन्य देश में की जा सकती है।
- 11.6 साउंडट्रैक में किसी भी भाषा में संवाद के खंड हो सकते हैं जहाँ तक यह पटकथा के लिए आवश्यक है।
- 11.7 कोई भी संगीत जिसे विशेष रूप से किसी ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण के लिए तैयार किया गया है, इस नियम से किसी भी विचलन के अधीन होगा, जो सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित है, भारत, ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों द्वारा या अनुच्छेद 5 (तीसरा देश सह-निर्माण), के तहत तीसरे देश के सह-निर्माण के मामले में, कोई भी व्यक्ति जो फिल्म या उस अनुच्छेद में संदर्भित ऑडियो-विजुअल करार या संधि से कम की स्थिति की व्यवस्था के प्रासंगिक दायरे में आता है।

अनुच्छेद 12

पहली रिलीज के लिए प्रिंट तैयार करना

- 12.1 ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण भारत और/या ऑस्ट्रेलिया और/या, जहां कोई तीसरा देश सह-निर्माता है, उस निर्माता के देश में पहली रिलीज के लिए प्रिंट या डिजिटल समकक्ष के निर्माण तक बनाया और संसाधित किया जाएगा। इस कार्य का अधिकांश कार्य सामान्यतः सह-निर्माता के देश में किया जाएगा जिसका प्रमुख वित्तीय योगदान है। सह-निर्माताओं के वित्तीय योगदान समान होने की स्थिति में, अधिकांश कार्य का स्थान सह-निर्माताओं के करार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- 12.2 पहली रिलीज प्रिंट या डिजिटल समकक्ष बनाने तक किए गए ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण की डबिंग भारत और/या ऑस्ट्रेलिया में और/या, जहां कोई तीसरा सह-निर्माता है, उस सह-निर्माता देश में किया जा सकता है।

- 12.3 किसी ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण में शामिल फुटेज का कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%), इस नियम से किसी भी विचलन के अध्यक्षीन होगा जिसे, सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है, और जिसे विशेष रूप से उस ऑडियो-विजुअल कार्य के लिए शूट किया गया है।

अनुच्छेद 13

कार्य की शर्तें

- 13.1 जहां तक संभव हो, सक्षम प्राधिकारी स्वयं को संतुष्ट करेंगे कि भाग लेने वाले सह-निर्माताओं के प्रत्येक देश में अनुबंध के तहत ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण में कार्य की शर्तें व्यापक रूप से तुलनीय हों और प्रत्येक देश के संबंध में, उस देश में आम तौर पर प्रचलित मानकों के अनुरूप हों, और ऑडियो-विजुअल कार्य का शूटिंग स्थल सह-निर्माता के अलावा किसी अन्य देश में है, तो इस स्थिति में शर्तें व्यापक रूप से तुलनीय होंगी।

अनुच्छेद 14

अभिस्वीकृति और आभार सूची

- 14.1 सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण में या तो एक अलग आभार शीर्षक शामिल है जो दर्शाता है कि ऑडियो-विजुअल कार्य या तो "भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई सह-निर्माण" या "ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय सह-निर्माण" है, या जहां प्रासंगिक है, एक आभार सूची जो ऑस्ट्रेलिया, भारत और तीसरे सह-निर्माता के देश की भागीदारी को दर्शाता है।

अनुच्छेद 15

कराधान

- 15.1 अनुच्छेद 7 (आप्रवासन सुविधा और उपकरण का आयात) के अलावा इस करार के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, कराधान के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पक्षकार हेतु लागू कानून पक्षकारों के बीच कर मामलों को नियंत्रित करने वाली किसी भी संधि के प्रावधानों के अध्यक्षीन लागू होंगे।

अनुच्छेद 16

संतुलन

- 16.1 सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच के अनुसार, करार का एक अधिभावी प्रयोजन यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्षकारों के बीच निम्न के संबंध में एक समग्र संतुलन हासिल किया गया है:

- क) सभी ऑडियो-विजुअल सह-निर्माणों की निर्माण लागत में प्रत्येक देश का योगदान;
- ख) स्टूडियो और प्रयोगशालाओं का उपयोग;
- ग) सभी अभिनय, शिल्प और तकनीकी कर्मियों का रोजगार, सीधे प्रति व्यक्ति के आधार पर मापा जाता है; तथा
- घ) प्रत्येक प्रमुख अभिनय, शिल्प और तकनीकी श्रेणियों में और विशेष रूप से, लेखक, निर्देशक और मुख्य कलाकारों की भागीदारी; इस करार के लागू होने की तारीख से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की प्रत्येक अवधि में।

- 16.2 या तो सक्षम प्राधिकारी किसी ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण के रूप में किसी ऑडियो-विजुअल कार्य के अनुमोदन को इस आधार पर रोक सकता है कि अनुच्छेद 16.1 में संदर्भित समग्र शेष का अधिभावी प्रयोजन ऐसे अनुमोदन से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा, बशर्ते कि अनुमोदन को इस आधार पर रोका नहीं जा सकता है जहां किसी फिल्म को अनुच्छेद 3.1 के तहत अनंतिम अनुमोदन मिला है।

अनुच्छेद 17

अनुबंध की स्थिति

- 17.1 इस करार का अनुबंध इस करार के संबंध में एक कार्यान्वयन व्यवस्था संस्थापित करेगा और इस करार के प्रावधानों के संयोजन के साथ पढ़ा जाएगा। यह अनुबंध पक्षकारों की समझ को दर्शाता है और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का निर्माण नहीं करता है।
- 17.2 इस अनुबंध में कोई भी संशोधन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित किया जाएगा। अनुबंध में संशोधन इस करार के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
- 17.3 अनुबंध में संशोधनों की पुष्टि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगी।

अनुच्छेद 18

संशोधन

- 18.1 पक्षकारों की आपसी सहमति से इस करार में किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है। ऐसा कोई भी संशोधन लिखित रूप में किया जाएगा।
- 18.2 पक्षकारों की सहमति से संशोधन तब लागू होंगे जब पक्षकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे को सूचित कर दें कि संशोधन के लागू होने के लिए उनकी संबंधित आंतरिक कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। संशोधन इन दो अधिसूचनाओं के बाद की तारीख से लागू होगा।

अनुच्छेद 19

विवादों का निपटारा

19. पक्षकारों के बीच इस करार की व्याख्या या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को परामर्श और वार्ता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद 20

लागू होना

20. यह करार पक्षकारों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे को सूचित करने के बाद लागू हो जाएगा कि लागू होने के लिए उनकी संबंधित आंतरिक कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। करार इन दो अधिसूचनाओं की बाद की तारीख से लागू होगा।

अनुच्छेद 21

अवधि और समाप्ति

- 21.1 यह करार इसके लागू होने की तारीख से प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। कोई भी पक्षकार जो इसे समाप्त करना चाहता है, उस अवधि के अंत से छह महीने पहले दूसरे पक्षकार को करार समाप्त करने के लिए लिखित सूचना देगा, और करार फिर तीन वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा।
- 21.2 यदि समाप्ति की कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो करार स्वतः प्रत्येक तीन वर्षों में निरंतर अवधि के लिए लागू रहेगा, जब तक कि किसी भी पक्षकार द्वारा तीन वर्ष की किसी भी अवधि के अंत से कम से कम छह महीने पहले समाप्त करने के लिए लिखित सूचना नहीं दी जाती है, उस स्थिति में यह उस अवधि के अंत में समाप्त हो जाएगा।

इसके साक्ष्य में, उनकी संबंधित सरकारों के विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस करार पर अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में को में हस्ताक्षर किए गए जिनके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में अंतर होने की स्थिति में, इस करार का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ऑस्ट्रेलिया सरकार के लिए और
उसकी ओर से

नाम:

पदनाम:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. G. Paul'.

भारत गणराज्य की सरकार के
लिए और उसकी ओर से

नाम:

पदनाम:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. K. Singh'.

अनुबंध

(1) अनुबंध की स्थिति

यह अनुबंध भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार ("करार") के बीच फिल्म सह-निर्माण करार के संबंध में एक कार्यान्वयन व्यवस्था का गठन करता है, और इसे करार के प्रावधानों के संयोजन के साथ पढ़ा जाएगा। यह अनुबंध करार के पक्षकारों की समझ को दर्शाता है और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का सृजन नहीं करता है।

(2) अवधि और समाप्ति

यह अनुबंध करार के लागू होने पर प्रभावी होगा और करार के समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा।

(3) सक्षम प्राधिकारियों का पदनाम

करार के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया में स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा नामित ऐसी अन्य संस्था हैं।

(4) सह-निर्माता संविदा

फिल्मों को अनुमोदित करने में, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सह-निर्माताओं के बीच संविदा:

क) बशर्ते कि कोई सह-निर्माता करार के अनुच्छेद 6.2 और 6.3 के अनुसार करार के अनुच्छेद 6 (लाभ के लिए पात्रता) में उल्लिखित लाभों को केवल निर्दिष्ट या उनका निपटान कर सकता है;

ख) बशर्ते कि सभी सह-निर्माताओं के लिए निर्माण में प्रयुक्त अंतिम सुरक्षा और पुनर्निर्माण सामग्री की पर्याप्त संख्या में प्रतियां बनाई जाएं। प्रत्येक सह-निर्माता संरक्षण और पुनर्निर्माण सामग्री की एक प्रति का स्वामी होगा और आवश्यक पुनर्निर्माण करने के लिए इसका उपयोग करने का हकदार होगा। इसके अलावा, प्रत्येक सह-निर्माता के पास सह-निर्माताओं के बीच पारस्परिक रूप से निर्धारित शर्तों के अनुसार मूल निर्माण सामग्री तक पहुंच होगी;

ग) निम्नलिखित स्थितियों में होने वाली लागतों के लिए प्रत्येक सह-निर्माता की वित्तीय देयता निर्धारित करना जहां:

- i. किसी फिल्म को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सह-निर्माण फिल्म के रूप में अनंतिम अनुमोदन प्रदान करने से मना कर दिया जाता है;
- ii. कोई फिल्म जिसे इस तरह का अनंतिम अनुमोदन दिया गया है, ऐसे अनुमोदन की शर्तों का पालन करने में विफल रहती है;
- iii. सह-निर्माताओं के किसी भी देश में अनुमोदित सह-निर्माण फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति रोक दी गई है; या

- iii. iv. जहां किसी अनुमोदित सह-निर्माण फिल्म के किसी तीसरे देश को निर्यात/वितरण की अनुमति रोक दी गई हो;
- घ) निर्यात बाजारों सहित फिल्म के उपयोग से प्राप्तियों के सह-निर्माताओं के बीच विभाजन के संबंध में व्यवस्थाएं निर्धारित करना; तथा
- ड) उन तारीखों को निर्दिष्ट करना जिनके द्वारा उस फिल्म के निर्माण में उनका संबंधित योगदान पूरा हो चुका है।

(5) प्रक्रिया के नियम

सक्षम प्राधिकारी करार के अनुसार सह-निर्माण का आकलन करेंगे और:

- क) भारत के लिए, समय-समय पर लागू प्रक्रिया के नियम (<https://mib.gov.in/film/films-codes-guidelines-and-policies>); तथा
- ख) ऑस्ट्रेलिया के लिए, समय-समय पर लागू अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण कार्यक्रम दिशानिर्देश (<http://www.screenaustralia.gov.au/coproductions/guidelines.aspx>)